

अध्याय - 4

बिहार कर्मचारी चयन आयोग संबंधी

संख्या-7/च०प० 208/98-का०-2742

बिहार सरकार
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग
संकल्प

दिनांक 25.03.10

विषय :- बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के संचालन हेतु बिहार राज्य संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद का सहयोग लिए जाने के संबंध में।

स्नातक/इन्टर/मैट्रिक स्तर के अराजपत्रित पदों पर नियुक्ति हेतु बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली, 2010 का गठन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की अधिसूचना सं० 2741 दिनांक 25.03.2010 द्वारा किया गया है।

इसी क्रम में राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग संबंधित परीक्षाओं के संचालन के लिए आवश्यकतानुसार बिहार राज्य संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद का सहयोग ले सकेंगे, जिसके लिए बिहार राज्य संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, पटना को प्राधिकृत किया जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में जनसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाए।

2. यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रतिलिपि बिहार कर्मचारी चयन आयोग/बिहार राज्य संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, पटना/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष एवं अन्य सभी संबंधित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
राजीव लोचन
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक-7/च०प०-208/98 का०-2742

पटना, दिनांक 25.03.10

प्रतिलिपि-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ अग्रसारित। उनसे अनुरोध है कि बिहार राजपत्र की 50 मुदित प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

राजीव लोचन
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक-7/च०प०-208/98 का०-2742

पटना, दिनांक 25.03.10

प्रतिलिपि-मुख्यमंत्री सचिवालय/ सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग/सचिव, बिहार राज्य संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद/सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना एवं प्रधान सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

राजीव लोचन
सरकार के विशेष सचिव



सत्यमेव जयते

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

5 चैत्र 1932 (श०)

(सं० पटना 205)

पटना, शुक्रवार, 26 मार्च 2010

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

अधिसूचनाएँ

25 मार्च 2010

सं० 7 / च०प०-208 / 98का०-2741-बिहार कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2002 (बिहार अधिनियम 7, 2002) की धारा-12 की उप-धारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार, उक्त अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाती है :-

बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा नियुक्ति हेतु ली जाने वाली परीक्षाओं के लिए

संचालन नियमावली, 2010

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ। - (1) यह नियमावली "बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली, 2010" कही जाएगी।
 - (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
 - (3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।
2. परिभाषाएँ। - जब तक कोई बात विषय या संदर्भ के विरुद्ध न हो, इस नियमावली में :-
 - (i) "विभाग" से अभिप्रेत है कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग;
 - (ii) "संबंधित विभाग" से अभिप्रेत है अधियाचना और नियुक्ति करने वाले विभाग;
 - (iii) "आयोग" से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग; तथा
 - (iv) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इस नियमावली के साथ संलग्न अनुसूची।
3. बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा गैर-तकनीकी पदों के लिए साल में न्यूनतम निम्न तीन परीक्षाएँ सामान्य रूप

से आयोजित की जाएँगी :-

(क) मैट्रिक या 10वीं पास स्तर

(ख) इन्टर (+2) स्तर

(ग) स्नातक स्तर

4. मैट्रिक स्तर (10वीं पास स्तर) से संबद्ध पदों की सूची अनुसूची (1) एवं स्नातक स्तर परीक्षा के लिए पदों की सूची अनुसूची (2) पर संलग्न है। इन अनुसूचियों में निहित सूचियों को कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा समय-समय पर परिवर्तित किया जा सकेगा एवं इन्टर स्तरीय परीक्षा के लिए पदों की सूची अलग से बनायी जा सकेगी। कुछ विशिष्ट पदों के लिए विशिष्ट अर्हतायें भी संबंधित विभाग द्वारा निश्चित की जा सकेंगी जिससे अभिप्रेत होगा सम्बन्धित विशिष्ट अर्हता प्राप्त ही उक्त विनिर्दिष्ट पदों के लिए अर्हता प्राप्त माने जायेंगे।
5. परीक्षाएँ दो चरणों में ली जाएँगी :-
 - (क) प्रारंभिक परीक्षा
 - (ख) मुख्य परीक्षा
6. किसी भी स्तर की परीक्षा के लिए, संवीक्षा के बाद 40,000 (चालीस हजार) से कम आवेदन रहने पर प्रारंभिक परीक्षा सामान्यतः नहीं ली जाएगी।
7. प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से उपलब्ध रिक्तियों के पॉच गुणा संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा जिन्हें मुख्य परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा। मुख्य परीक्षा के आधार पर मेधा सूची-प्रारूप बनाया जाएगा।
8. मेधा सूची प्रारूप तैयार करने के पश्चात् आयोग के द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के सहयोग से प्रमाण-पत्रों की प्रारंभिक जाँच एवं स्वास्थ्य जाँच कराई जाएगी और तत्पश्चात् अंतिम अनुशंसा संबंधित विभाग को भेजी जाएगी। संबंधित विभाग द्वारा भी प्रमाण-पत्रों की जाँच के पश्चात् अभ्यर्थियों का पूर्ववृत्त सत्यापन करा लिया जाएगा।
9. प्रारंभिक परीक्षा में एक पत्र होगा जिसके निम्नांकित विषय होंगे :-
 - (क) सामान्य अध्ययन;
 - (ख) सामान्य विज्ञान एवं गणित;
 - (ग) मानसिक क्षमता जाँच (Comprehension/Logic/Reasoning/Mental Ability)।प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे।
10. मुख्य परीक्षा के लिए दो पत्र होंगे :-
 - (क) हिन्दी [जो अर्हक होगा यानि जो परीक्षार्थी इसमें 30 प्रतिशत या 30 प्रतिशत से अधिक अंक लाएँगे उन्हीं का दूसरा पत्र मूल्यांकित (Evaluate) किया जाएगा]।
 - (ख) मुख्य पत्र जिसमें निम्न विषय शामिल होंगे :-
 - (i) सामान्य अध्ययन
 - (ii) सामान्य विज्ञान एवं गणित
 - (iii) मानसिक क्षमता जाँच (Comprehension/Logic/Reasoning/Mental Ability)

प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे।

11. यदि नियम 4 के अधीन पदों की सूची में तकनीकी पद भी शामिल किए जाते हैं तो उस परिस्थिति में मुख्य परीक्षा के लिए संबंधित तकनीकी विषय के अतिरिक्त पत्रों को भी शामिल किया जाएगा जिस पर कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा समुचित निर्णय लिया जाएगा।
12. प्रारंभिक परीक्षाएँ पुस्तक सहित ली जाएँगी, यानि परीक्षार्थी चाहें तो अपने साथ पुस्तकों को ले जा सकते हैं।
13. मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन देते समय सभी परीक्षार्थियों से उपलब्ध पदों के लिए विकल्प की माँग आवेदन में की जाएगी जिसे परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा। मुख्य परीक्षा के परिणाम के आधार पर तथा प्रमाण-पत्र आदि एवं स्वास्थ्य जाँच के बाद मेधा एवं विकल्प को ध्यान में रखकर चयनित अभ्यर्थियों की अनुशंसा आयोग के द्वारा की जाएगी।
14. अनुसूची (1) एवं अनुसूची (2) में उल्लिखित पदों से संबंधित सेवा/संवर्ग नियमावली में परीक्षा संचालन से संबंधित प्रावधानों को उपर्युक्त हद तक संशोधित समझा जाएगा।
15. अधियाचना करने और मेधा सूची तैयार करने में आरक्षण/रोस्टर संबंधी राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत नियमों/अनुदेशों का अनुपालन आवश्यक होगा।
16. ऊपर वर्णित नियमों को ध्यान में रखते हुए परीक्षा के मानक एवं प्रक्रिया पर निर्णय लेने के लिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग स्वतंत्र होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से

राजीव लोचन

सरकार के विशेष सचिव

अनुसूची-1

मैट्रिक स्तरीय पदों की सूची

क्रमांक	पद का नाम	अभ्युक्ति
1	निम्नवर्गीय लिपिक (सचिवालय)	
2	पंचायत सचिव	
3	निम्नवर्गीय लिपिक (क्षेत्रीय)	
4	राजस्व कर्मचारी	
5	मोहररि	
6	प्रतिलिपिक (सर्वे)	
7	सांख्यिकी लिपिक	
8	महिला पर्यवेक्षिका	

अनुसूची-2

स्नातक स्तरीय पदों की सूची

क्रमांक	पद का नाम	अभ्युक्ति
1	सचिवालय सहायक	
2	आपूर्ति निरीक्षक	
3	अंचल निरीक्षक एवं कानूनगो	
4	कनीय सांख्यिकी सहायक	
5	सहायक परियोजना पदाधिकारी	
6	ग्राम पंचायत पर्यवेक्षक	
7	प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी	
8	श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी	
9	उद्योग प्रसार पदाधिकारी	
10	सहायक अंकेक्षण पदाधिकारी	सहकारिता विभाग
11	सहकारिता प्रसार पदाधिकारी	
12	सांख्यिकी पर्यवेक्षक	
13	वरीय सांख्यिकी पर्यवेक्षक	

25 मार्च, 2010

सं० 7/च० प०-208/98-2744-कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की अधिसूचना संख्या 2741 दिनांक 25 मार्च 2010 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद, बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अंतर्गत अंग्रेजी भाषा में उक्त अधिसूचना का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से

राजीव लोचन

सरकार के विशेष सचिव

The 25th March, 2010

No-7 / च०प०-208 / 98-2741—In exercise of power conferred under sub-section (1) of section 12 of the Bihar Staff Selection Commission Act, 2002 (Bihar Act 7, 2002), the State Government of Bihar makes the following rules, to implement the provisions of the said Act :-

RULES FOR CONDUCT OF EXAMINATIONS FOR APPOINTMENT

BY THE BIHAR STAFF SELECTION COMMISSION

1. *Short title, extent and commencement.*— (1) These rules may be called as the "Bihar Staff Selection Commission Conduct of Examination Rules, 2010".
 - (2) It shall extend to the whole State of Bihar.
 - (3) It shall come into force at once.
2. *Definition.*— In these Rules, unless there is anything repugnant in the subject or context :-
 - (i) 'Department' means Personnel & Administrative Reforms Department;
 - (ii) "Concerned Department" means the requisitioning and appointing department;
 - (iii) 'Commission' means the Bihar Staff Selection Commission; and
 - (iv) 'Annexure' means the annexure attached to the rules.
3. The following minimum three examination in a year shall generally be conducted for non-technical post by the Bihar Staff Selection Commission:-
 - (a) Matric or 10th pass level.
 - (b) Inter (+2) level.
 - (c) Graduate level.
4. The list of posts related to Matric level (10th pass level) is annexed as Annexure (1) and the list of posts related to graduate level is annexed as Annexure (2). In the said Annexure, changes may be made by the Personnel and Administrative Reforms Department from time to time and the list of posts for Inter level examination may be made separately. The specific qualifications for specific posts may be determined by the concerned department which will mean that the concerned specific qualification holder only be qualified for said specified posts.
5. The examinations shall be conducted in two stages:-
 - (a) Preliminary examination.
 - (b) Main examination.
6. The preliminary examination shall not generally be taken for examination of any level if the number of application after scrutiny is below 40000 (forty thousand).
7. The candidates shall be selected through the Preliminary examination, equal to the five times numbers of the available vacancies, who shall be included in the Main examination. The draft merit list shall be prepared on the basis of main examination.
8. After the preparation of draft merit list, the commission with the help of General Administration Department shall cause the preliminary verification of certificates and test of health and thereafter the final recommendation shall be sent to the concerned department. The concerned department shall also cause

verification of antecedent after the verification of certificate.

9. There shall be one paper in the preliminary examination consisting of following subjects :-

- (a) Social Studies;
- (b) General Science and Mathematics;
- (c) Mental ability test (Comprehension/Logic/Reasoning/Mental ability).

The questions shall be of objective and multi-choice type.

10. There shall be two paper for main examination :-

- (a) Hindi [which shall be qualifying, i.e. the second paper of only those examinees shall be evaluated who secure thirty percent or more than thirty percent marks in this paper];
- (b) Main paper, which shall include the following subjects-
 - (i) Social Studies;
 - (ii) General Science and Mathematics;
 - (iii) Mental ability test (Comprehension/Logic/Reasoning/Mental ability).

The questions shall be of objective and multiple choice types.

11. If technical posts are included in the list of posts under rule 4, in such circumstances the additional papers of concerned technical subject shall be included for the main examination for which appropriate decision shall be taken by the Personnel and Administrative Reforms Department.

12. The preliminary examinations shall be taken with books, i.e. the examinees may take books with them in examination.

13. At the time of applying for main examination, the examinees shall be required to furnish option for the available posts in the application, which may not be changed. The recommendation of selected candidates shall be made by the Commission in view of merit and option, on the basis of result of main examination and after the verification of certificates and health examination.

14. The provisions regarding conduct of examination in the concerned Service/Cadre Rules related to posts mentioned in Schedule (1) and Schedule (2), shall be deemed to be amended to the aforesaid extent.

15. The compliance of the Rules/Instructions issued by the State Government from time to time concerning Reservation/Roster shall be essential in requisition and preparation of merit list.

16. Keeping in view the aforesaid rules, the Bihar Staff Selection Commission shall have liberty to take decision on the standard and procedure of examination.

By order of the Governor of Bihar,

RAJIVA LOCHAN.

Special Secretary to Government.

SCHEDULE-1

List of Matric level Posts

Sl. No.	Name of Posts	Remarks
1	Lower Division Clerk (Secretariat)	
2	Panchayat Secretary	
3	Lower Division Clerk (Field)	
4	Revenue Karmachari	
5	Moharrir	
6	Copyist (Survey)	
7	Statistical Clerk	
8	Lady Supervisor	

SCHEDULE-2

List of Graduate level Posts

Sl.No.	Name of Posts	Remarks
1	Secretariat Assistant	
2	Supply Inspector	
3	Circle Inspector & Kanungo	
4	Junior Statistical Assistant	
5	Assistant Project Officer	
6	Gram Panchayat Supervisor	
7	Labour Enforcement Officer	
8	Block Welfare Officer	
9	Industries Extension Officer	
10	Assistant Audit Officer	Co-operative Department
11	Co-operative Extension Officer	
12	Statistical Supervisor	
13	Senior Statistical Supervisor	

By order of the Governor of Bihar
RAJIVA LOCHAN
Special Secretary to Government.



सत्यमेव जयते

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

15 श्रावण 1929 (श०)

(सं० पटना 714)

पटना, सोमवार 6 अगस्त 2007

विधि विभाग

अधिसूचनाएँ

2 अगस्त 2007

सं०-एल०जी० 1-023/2007/लेज : 180-बिहार विधान-मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर राज्यपाल दिनांक 28 जुलाई, 2007 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है:-

बिहार-राज्यपाल के आदेश से
मो० अकरम रिजवी
सरकार के संयुक्त सचिव

[बिहार अधिनियम 26, 2007]

बिहार कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2007

बिहार कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2002 (बिहार अधिनियम 7, 2002)

का संशोधन करने के लिये अधिनियम ।

प्रस्तावना।-

चूँकि, बिहार कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम की धारा-3 के अनुसार सेवारत भारतीय प्रशासनिक सेवा/राज्य सेवाओं के सेवारत पदाधिकारियों की आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य के रूप में नियुक्ति का प्रावधान है;

और चूँकि, पदाधिकारियों की कमी के कारण सेवारत पदाधिकारियों की उक्त आयोग में पदस्थापन में कठिनाई अनुभूत की गई है;

और चूँकि, संविदा के आधार पर नियोजन, छँटनीग्रस्त कर्मचारियों का समायोजन, अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति तथा मेधावी खिलाड़ियों की नियुक्ति के मामलों में आयोग की अनुशंसा प्राप्त करना व्यावहारिक नहीं पाया गया है;

और चूँकि, उपर्युक्त कारणों से सेवानिवृत्त पदाधिकारियों की आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति और संविदा के आधार पर नियोजन, छँटनीग्रस्त कर्मचारियों का समायोजन तथा अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति, मेधावी खिलाड़ियों के नियुक्ति के मामलों को आयोग की अनुशंसा की अधिकारिता से बाहर करने हेतु प्रावधान करने के लिए उक्त अधिनियम में संशोधन करना समीचीन है;

इसलिए, अब, भारत गणराज्य के अठावनवें वर्ष में बिहार राज्य विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ। - (1) यह अधिनियम बिहार कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2007 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

2. बिहार अधिनियम, 7, 2002 की धारा-3 का प्रतिस्थापन।-बिहार कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2002 (बिहार अधिनियम 7, 2002) की धारा 3 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :-

"3. आयोग का गठन। - (1) बिहार कर्मचारी चयन आयोग का गठन एक अध्यक्ष एवं दो सदस्यों को मिलाकर होगा

(2) आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जायेगी :

परन्तु आयोग का अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य ऐसा व्यक्ति होगा, जो अपनी नियुक्ति की तिथि को, राज्य सरकार के अधीन कम-से-कम 10 वर्षों की सेवा कर चुका हो।

(3) यदि आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है या यदि अध्यक्ष अनुपस्थिति के कारण या अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो तो, यथास्थिति, जबतक खण्ड (2) के अधीन रिक्त पद पर नियुक्त कोई व्यक्ति अपना कर्तव्य ग्रहण नहीं कर लेता है या जबतक अध्यक्ष अपने कर्तव्यों को फिर से नहीं सँभाल लेते हैं तबतक आयोग के अन्य सदस्यों में से ऐसा एक सदस्य जिसे राज्य सरकार इस प्रयोजनार्थ नियुक्त करे, उन कर्तव्यों का पालन करेगा।"

3. बिहार अधिनियम 7, 2002 की धारा 4 का प्रतिस्थापन।- बिहार कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2002 (बिहार अधिनियम-7, 2002 की धारा-4 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :-

"4. आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल, हटाया जाना एवं सेवाशर्तें।- (1) आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों का कार्यकाल, नियुक्ति की तिथि के प्रभाव से, पाँच वर्षों अथवा पैसठ वर्ष की आयु प्राप्त होने तक, जो भी पहले हो, के लिए होगा :

परन्तु-

(क) आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्य उक्त अवधि के दौरान भी अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा;

(ख) आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्य राज्य सरकार द्वारा पदच्युत किया जा सकेगा, यदि वह-

(i) दिवालिया हो गया हो, या

(ii) कार्यकाल के दौरान अपने कर्तव्यों के बाहर कोई भुगतय नियोजन स्वीकार कर लेता हो, या

(iii) राज्य सरकार की राय में किसी कारण से पद पर रहने हेतु अयोग्य हो जाता हो।

(2) आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की सेवाशर्तों का विनिश्चय, इस अधिनियम की धारा-12 की उप-धारा (1) में प्रदत्त शक्तियों के अधीन विनियमावली बनाकर, किया जायेगा।”

4. बिहार अधिनियम 7, 2002 की धारा-5 में एक परन्तुक जोड़ा जाना।— बिहार कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2002 (बिहार अधिनियम 7, 2002) की धारा-5 में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा :-

“परन्तु यह कि संविदा-नियोजनों, छँटनीग्रस्त कर्मचारियों के समायोजनों, अनुकम्पात्मक नियुक्तियों तथा मेधावी खिलाड़ियों की नियुक्तियों के मामलों में नियुक्तियाँ आयोग की अनुशंसा प्राप्त किये बिना की जा सकेंगी।”

2 अगस्त, 2007

सं०-एल०जी०-1-023/2007/लेज: 181-बिहार विधान-मंडल द्वारा यथापारित और राज्यपाल द्वारा दिनांक 28 जुलाई, 2007 को अनुमत बिहार कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2007 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा :-

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मो० अकरम रिजवी,
सरकार के संयुक्त सचिव।

[Bihar Act 26, 2007]

Bihar Staff Selection Commission (Amendment) Act, 2007

An

ACT

TO AMEND THE BIHAR STAFF SELECTION COMMISSION ACT, 2002

(Bihar Act 7, 2002)

Preamble —WHEREAS, there is a provision of appointment of working Indian Administrative Service/ State Services Officers as Chairman and Members of the Commission according to Section-3 of the Bihar Staff Selection Commission Act;

AND WHEREAS, it has been felt difficult to post the working officers in the said Commission due to shortage of hands;

AND WHEREAS, obtaining of recommendation of Commission has not been found practical in cases of employment on contract basis, adjustment of retrenched employees, compassionate appointments and appointment of outstanding sportsperson;

AND WHEREAS, in light of aforesaid reasons, it is expedient to amend the said Act to provide for appointment of retired officers as Chairman and Members of the Commission as well as to provide for exclusion of cases of contractual employment, adjustment of retrenched employees, compassionate appointment and appointment of outstanding sportsperson from the jurisdiction of recommendation of the Commission;

NOW THEREFORE, be it enacted by the legislature of State of Bihar in the fiftyeighth year of Republic of India as follows:-

1. *Short title, extent and commencement.*—(1) This Act may be called The Bihar Staff Selection Commission (Amendment) Act, 2007.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force at once.

2. *Substitution of Section-3 of Bihar Act-7, 2002.*—Section-3 of the Bihar Staff Selection Commission Act, 2007 (Bihar Act-7, 2002) shall be substituted by the following :—

"3. *Constitution of Commission.*—(1) The Bihar Staff Selection Commission shall be constituted consisting of a Chairman and two Members.

(2) Appointment of the Chairman and other Members of the Commission shall be made by the State Government: Provided that the Chairman and other Members of the Commission shall be such persons who, on the dates of their appointments, have held office for at least ten years under the State Government.

(3) If the office of the Chairman of the Commission becomes vacant or if the Chairman is, by reason of absence or for any other reason, unable to perform the duties of his office, those duties shall, until some person appointed under clause (2) to the vacant office has entered on the duties thereof or, as the case may be, until the Chairman has resumed his duties, be performed by such one of the other members of the Commission as the State Government may appoint for the purpose."

3. *Substitution of Section 4 of Bihar Act7, 2002.* —Section-4 of the Bihar Staff Selection Commission Act, 2007 (Bihar Act 7, 2002) shall be substituted by the following :—

"4. *Term of office, removal and service conditions of the Chairman and members of the Commission.*—

(1) Term of the Chairman and the members of the Commission shall be of five years with effect from the date of appointment or until he attains the age of sixty five years, whichever is earlier :

Provided that -

(a) the Chairman and a Member of the Commission may resign his office during his term;

(b) the Chairman and a Member of the Commission may be removed from his office, if he —

(i) is adjudged an insolvent, or

(ii) engages during his term of office in any paid employment outside the duties of his office, or

(iii) is in the opinion of the State Government, unfit to continue in office due to any reason.

(2) The conditions of service of the Chairman and Members of the Commission shall be determined after framing regulation under the powers conferred by sub-section (1) of section-12 of the Act."

4. *Addition of a proviso to section-5 of the Bihar Act 7,2002.*—The following proviso shall be added to section-5 of the Bihar Staff Selection Commission Act, 2002 (Bihar Act 7, 2002);

"Provided that in the cases of contractual employments, adjustments of retrenched employees, compassionate appointments and appointments of outstanding sportsperson, the appointments may be made without obtaining the recommendation of the Commission."

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

मो० अकरम रिजवी,

सरकार के संयुक्त सचिव।



सत्यमेव जयते

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 ज्येष्ठ 1925 (श०)

(सं० पटना 308)

पटना, शनिवार, 07 जून 2003

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

अधिसूचनाएँ

31 मई 2003

संख्या 7/क०च०आ०-03/2002-3606-बिहार कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2002 की धारा 12 (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ। - (1) यह नियमावली बिहार कर्मचारी चयन आयोग नियमावली, 2003 कही जा सकेगी।
 - (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।
 - (3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।
2. परिभाषाएँ।-इस नियमावली में, जबतक कोई बात विषय या संदर्भ में विरुद्ध न हो-
 - (क) "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है बिहार की राज्य-सरकार;
 - (ख) "अधिनियम" से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2002 (बिहार अधिनियम सं० 7, 2002);
 - (ग) "आयोग" से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग और इसमें अध्यक्ष एवं सभी अन्य सदस्य शामिल हैं;

परन्तु किसी सदस्य की छुट्टी या अन्यथा अनुपस्थिति की दशा में, अध्यक्ष एवं एक सदस्य को मिलाकर आयोग गठित समझा जायेगा;
 - (घ) 'अध्यक्ष' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 3 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त बिहार कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष;
 - (ङ) 'सदस्य' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 3 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त बिहार कर्मचारी चयन आयोग के सदस्य;

(घ) सेवा एवं 'सर्वग' से अभिप्रेत है कोई सेवा या कोई सर्वग जिसमें नियुक्ति हेतु अधिनियम की धारा 5 के अधीन आयोग की अनुशंसा की अपेक्षा हो;

(छ) 'पद' से अभिप्रेत है कोई पद जिस पर नियुक्ति हेतु अधिनियम की धारा 5 के अधीन आयोग की अनुशंसा की अपेक्षा हो;

(ज) 'सचिव' से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा नियुक्त आयोग का सचिव और इसमें वह पदाधिकारी भी शामिल है जो सचिव की अनुपस्थिति में सचिव के कार्यों का निष्पादन करने हेतु अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत किया जाय।

3 आयोग के कार्य एवं अधिकार।—(1) अधिनियम की धारा 5 के अनुसार आयोग रु० 6500—10,500 (अथवा समय-समय पर यथा पुनरीक्षित समरूप वेतनमान) से नीचे के वेतनमान वाले, अनुसूची 1 में यथा विनिर्दिष्ट, राज्य सरकार के सचिवालय के विभागों/संलग्न कार्यालयों/क्षेत्रीय जिला/मुफस्सिल कार्यालयों के अधीन एवं सभी सामान्य/प्रावैधिक/अप्रावैधिक सेवाओं/सर्वगों/पदों पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा कर सकेगा।

(2) आयोग की अनुशंसा की तिथि से एक वर्ष के लिये अनुशंसा मान्य होगी;

परन्तु आयोग को अपनी अनुशंसा को अगले एक वर्ष के लिए पुनः विधिमान्य करने की शक्ति होगी।

4. आयोग के कार्यों का संव्यवहार।— इस नियमावली की अनुसूची 2 एवं अनुसूची 3 में यथानिर्दिष्ट कार्यों का संव्यवहार क्रमशः आयोग एवं आयोग के अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा।

5. आयोग के अध्यक्ष का प्रास्थिति एवं सुविधाएँ।— आयोग के अध्यक्ष का पद भारतीय प्रशासनिक सेवा के सुपर टाईम स्केल से अन्वून वेतनमान का होगा। आयोग के अध्यक्ष को विभागीय सचिव को अनुमान्य सभी सुविधाएँ उपलब्ध होंगी।

6. आयोग के सदस्य का स्तर एवं सुविधाएँ।— आयोग के सदस्यों का पद रु० 14,300—18,300 के वेतनमान (अथवा समय-समय पर यथापुनरीक्षित समरूप वेतनमान) से अन्वून अखिल भारतीय सेवाओं/राज्य सेवाओं के पदाधिकारियों के वेतनमान का होगा। आयोग के सदस्य समकक्ष पंक्ति के पदाधिकारियों को अनुमान्य सभी सुविधाओं के पात्र होंगे।

7. आयोग के सदस्यों के कार्य एवं जिम्मेवारी।— आयोग के सदस्य अध्यक्ष द्वारा उन्हें आर्बिट्रि कार्यों का संपादन करेंगे।

8. आयोग की बैठकों की कार्यवाहियाँ।—(1) आयोग के सभी निर्णयों का अभिलेखन बैठक में ही सचिव या अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा। यदि कोई सदस्य किसी निर्णय से भिन्न मत प्रकट करे तो उसे कार्यवाही में अभिलिखित किया जायेगा। मतभिन्नता की दशा में बहुमत द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

(2) बैठक की कार्यवाही की संपुष्टि आयोग की अगली बैठक में की जायेगी।

(3) आयोग के निर्णयों का संसूचन सचिव या अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत किसी पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित पत्र द्वारा किया जायेगा।

(4) आयोग की कार्यवाहियाँ गोपनीय होंगी और उन्हें आयोग की अनुमति के बिना संसूचित नहीं की जायेगी।

9. वित्तीय शक्तियाँ।— (1) बजट आबंटन के भीतर मोटरगाड़ी एवं एक लाख रु० से अधिक राशि से कम्प्यूटर क्रय के मामलों को छोड़कर एक लाख रुपये से अधिक के क्रय, कांटेक्ट एवं किसी अन्य व्यय को मंजूर करने की

शक्ति आयोग को होगी। परन्तु परीक्षा के संचालन से संबंधित एक लाख रुपये से अधिक क्रय, कान्ट्रैक्ट अन्य व्यय की स्वीकृति की शक्ति आयोग को होगी। अन्य आकस्मिक व्यय के लिये, अध्यक्ष को बिहार वित्त नियमावली के नियम 110 (2) के अधीन शक्ति प्राप्त होगी।

(2) बिहार कोषागार संहिता भाग-1 के नियम 300 में अधिकथित शर्तों एवं निर्बंधनों के अनुसार परीक्षा के संचालन के लिये कोषागार से (10,000) दस हजार रुपये से अधिक धन की अग्रिम तथा निकासी की मंजूरी देने की शक्ति आयोग को होगी। दस हजार रु० तक यह शक्ति आयोग के अध्यक्ष को होगी। क्रय से संबंधित मामलों में अग्रिम धन की निकासी तभी की जायेगी जब अनुमोदित निविदा में ऐसी शर्त हो।

(3) प्रश्नपत्रों की छपाई एवं उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन पर होनेवाले/हुए व्यय के संबंध में बिहार वित्तीय नियमावली भाग-2 परिशिष्ट 5 की मद संख्या 39 में अधिकथित प्रक्रिया लागू होगी।

(4) आयोग राज्य सरकार से प्राप्त राशि और विविध रसीदों द्वारा प्राप्त राशि को बैंक में खाता खोलकर रखेगा। अभ्यर्थियों से प्राप्त शुल्क के लिये एक अतिरिक्त बैंक खाता होगा और यह राशि तुरंत और किसी भी स्थिति में माह के अन्त तक राजकोष में प्राप्ति शीर्ष "0051 लोक सेवा आयोग-104- कर्मचारी चयन आयोग-परीक्षा शुल्क" के अधीन जमा की जायेगी। प्रत्येक वर्ष ऐसे शुल्क के रूप में प्राप्त राजस्व का ब्योरा कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को भेजा जायेगा।

10. आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की छुट्टी।- अध्यक्ष एवं सदस्यों को छुट्टी मंजूर करने की प्रक्रिया वही होगी जो समकक्ष पंक्ति के पदाधिकारियों पर लागू हो। अध्यक्ष की छुट्टी या अन्यथा अनुपस्थिति में वरिष्ठतम सदस्य अध्यक्ष के प्रशासनिक कार्यों का प्रभार धारण करेगा।

11. आयोग के पदाधिकारी/कर्मचारी।-(1) आयोग के कार्य संचालन हेतु अधीनस्थ पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का पद बल वही होगा जो सरकार द्वारा समय-समय पर मंजूर किया जाय। मंजूर किये गये पद बल के विरुद्ध कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा पदाधिकारी/कर्मचारी उपबलध कराये जायेंगे।

(2) आयोग के पदाधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा शर्तें वही होंगी जो सरकारी सेवकों पर लागू हों। आयोग के पदाधिकारियों/कर्मचारियों पर अनुशासनिक कार्रवाई संबंधी वे ही नियम/संकल्प/ परिपत्र लागू होंगे जो राज्य सरकार के उनके स्तर/सेवा के पदाधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू हैं।

(3) सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत पद बल के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार परीक्षा प्रक्रिया के सुचारु रूप से संचालन के लिये आयोग विज्ञापन के आधार पर बाह्य व्यक्तियों की सेवा विनिर्दिष्ट अवधि के लिये कन्ट्रैक्ट पर ले सकेगा और परीक्षा प्रक्रिया समाप्त हो जाने के बाद उनकी सेवा आयोग तुरंत समाप्त कर देगा। ऐसे रखे गये व्यक्तियों की संख्या एवं उन्हें भुगतये राशि की दर पर आयोग राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर लेगा।

12. (1) आयोग की स्थापना पर होनेवाले वार्षिक व्यय का वहन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा अपने बजट शीर्ष के अधीन अपेक्षित निधि का उपबंध कर किया जायेगा।

(2) आयोग प्रत्येक वर्ष का बजट प्राक्कलन तैयार करेगा और कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को भेजेगा ताकि विभाग के बजट के अधीन उसको सम्मिलित किया जा सके।

13. आयोग के नियंत्री पदाधिकारी व्यय पर नियंत्रण करेंगे तथा बिहार वित्त नियमावली के नियम 471 से 483 के अधीन प्रदत्त उत्तरदायित्वों का निष्पादन करेंगे। लेखा का संधारण एवं उनका अंकेक्षण राज्य सरकार द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार ही किया जायेगा। इससे संबद्ध सुसंगत जानकारी तथा प्रतिवेदन आयोग के द्वारा कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को समय-समय पर उपलब्ध कराया जायेगा।

अनुसूची-1

सेवा/संवर्ग/पद का ब्योरा

(नियम-3 देखें)

(क) सचिवालय पद

- (1) सहायक
- (2) आशुलिपिक
- (3) निम्न कोटि लिपिक
- (4) वान चालक
- (5) सांख्यिकी सहायक

(ख) क्षेत्रीय/जिला स्तरीय पद

- (1) मुफस्सिल लिपिक
- (2) राजस्व कर्मचारी
- (3) जन सेवक
- (4) पंचायत सेवक
- (5) अमीन
- (6) ग्राम पंचायत पर्यवेक्षक
- (7) सहकारिता प्रसार पदाधिकारी
- (8) प्रखंड कृषि प्रसार पदाधिकारी
- (9) श्रम निरीक्षक
- (10) कनीय सांख्यिकी पर्यवेक्षक
- (11) कनीय अभियन्ता
- (12) अवर आरक्षी निरीक्षक
- (13) सहायक अवर आ० निरीक्षक
- (14) प्राथमिक शिक्षक

- (15) वायरलेस आपरेटर
- (16) अंचल निरीक्षक-सह-कानूनगो
- (17) आपूर्ति निरीक्षक
- (18) तौल-माप निरीक्षक

नोट-सचिवालय एवं मुफस्सिल स्तर के वर्ग-3 के रु० 6500-10500 से नीचे के वेतनमान वाले अन्य सभी पद इस अनुसूची में सम्मिलित समझे जायेंगे।

अनुसूची-2

आयोग द्वारा संव्यवहार किये जानेवाले कार्य :-

- (1) आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन।
- (2) अधिनियम की धारा 12 (2) के अधीन निर्मित नियमावली के अधीन परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम।
- (3) कोई मामला जिसमें नयी नीति के हेतु प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेजना हो।
- (4) कोई मामला जिसमें वर्तमान नीति को संशोधित/पुनरीक्षित करने हेतु प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेजना हो।
- (5) कोई मामला जिसमें पद एवं सेवाओं में भर्ती के लिये प्रतियोगिता परीक्षा संचालित करने हेतु विनियमावली बनाने के संबंध में निर्णय लेने की आवश्यकता हो।
- (6) वे मामले जिनमें भर्ती नियमावली नहीं बनी है और उनमें आयोग को चयन की प्रक्रिया का निर्धारण करना है।
- (7) आयोग के कार्यों के निष्पादन हेतु कार्य संचालन विनियमावली का प्रारूप सरकार के अनुमोदन हेतु भेजना।
- (8) आयोग के दायरे से हटाने एवं आयोग के कार्यों के विस्तार का प्रस्ताव तैयार कर सरकार के अनुमोदन हेतु भेजना।
- (9) परीक्षा पद्धति के अनुसंधान से संबंधित विषय।
- (10) साक्षात्कार/अन्तर्वीक्षा पर्वद के गठन हेतु पैनल का निर्माण।
- (11) परामर्शियों/विशेषज्ञों के चयन हेतु पैनल का गठन एवं बोर्ड की संरचना।
- (12) अन्तर्वीक्षा की तिथियों का निर्धारण।
- (13) परीक्षा की तिथियों/परीक्षाओं एवं मूल्यांकन स्थानों का निर्धारण।
- (14) अधिवक्ताओं के पैनल का गठन।
- (15) भर्ती के लिये अधिसूचना और विज्ञापन और समाचार-पत्रों का चयन करना जिनमें विज्ञापन प्रकाशित किये जाने वाले हों।
- (16) परीक्षा तथा अन्तर्वीक्षा के परिणामों (परीक्षाफल) का अनुमोदन।
- (17) पद्धति विकास और डाटा प्रोसेसिंग एवं इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग शाखा संबंधी तकनीकी पहलू वाले अन्य कार्य।
- (18) उम्मीदवारों के आवेदन पर उत्तर पुस्तिका के पुनर्समीक्षा का निर्णय।

(19) कोई अन्य मामला जिसे विचार एवं निर्णय के लिये अध्यक्ष आयोग के समक्ष रखना चाहें।

(20) कोई अन्य मामला जो इस नियमावली से आच्छादित न हो, उस पर प्रस्ताव तैयार कर सरकार के अनुमोदन हेतु भेजना हो।

अनुसूची-3

अध्यक्ष द्वारा निष्पादित किये जाने वाले कार्य :-

- (1) आयोग का सामान्य प्रशासन।
- (2) आयोग की बैठक आहूत करने सहित आयोग के कार्य का समन्वय।
- (3) आयोग के सदस्यों को आयोग के कार्यों के आबंटन।
- (4) अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किसी सदस्य को कोई संचिका परीक्षण के लिये पृष्ठांकित करना।
- (5) प्राश्निकों (प्रश्न-सेटर), मर्यादकों (मोडरेटर/परीक्षकों (एक्जामिनर) की नियुक्ति।
- (6) प्रश्न-पत्रों के मुद्रण का अनुमोदन।
- (7) आवश्यकतानुसार या जनहित में यदि अध्यक्ष उचित समझे तो किसी खास मामले या कार्य को निष्पादनार्थ आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने का निदेश दे सकेगा।
- (8) न्यायिक मामलों के लिये तथ्य विवरणी की जाँच/शपथ-पत्र दाखिल करना।
- (9) आयोग द्वारा तैयार पैनल से बोर्ड का गठन एवं साक्षात्कार/अन्तर्वीक्षा तिथियों का निर्धारण।
- (10) आयोग द्वारा स्वीकृत पैनल से वकीलों को कार्य पर रखने की शक्ति।
- (11) आयोग द्वारा समय-समय पर कार्यहित में सौंपे गए कार्य।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से

नितेन चन्द्र,

सरकार के अपर सचिव

31 मई 2003

सं० 7-क०च०आ०-03/2002-3607/अधिसूचना संख्या 3606, दिनांक 31 मई 2003 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारत-संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

नितेन चन्द्र,

सरकार के अपर-सचिव

31st May 2003

No. 7/K. CH. AA.-03/2002-3606/ In exercise of the powers conferred under section 12 (1) of Bihar Staff Selection Commission Act, 2002, Governor of Bihar is pleased to make the following rules :—

1. Short title, extent and commencement.—

- (1) These rules shall be called "The Bihar Staff Selection Commission Rules, 2003.
- (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.
- (3) It shall come into force at once.

2. Definitions.—In these Rules unless there is anything repugnant in the subject or the context :

- (a) "State Government" means the State Government of Bihar;
- (b) "Act" means the Bihar Staff Selection Commission Act, 2002 (Bihar Act No. 7 of 2002);
- (c) "Commission" means the Bihar Staff Selection Commission and it includes the Chairman and all other Members:

Provided that in the case of absence of one or more Members on leave or otherwise, the Commission shall be deemed to be constituted comprising of the Chairman and at least one member;

- (d) "Chairman" means the Chairman of the Bihar Staff Selection Commission appointed by the State Government under section-3 of the Act;
- (e) "Member" means a member of the Bihar Staff Selection Commission appointed by the State Government under section-3 of the Act;
- (f) "Service and Cadre" means a service or a cadre in which for appointment the recommendation of the Commission is required under section 5 of the Act;
- (g) "Post" means any post to which for appointment, the recommendation of the Commission is required under section 5 of the Act;
- (h) "Secretary" means the Secretary of the Commission appointed by the State Government including the officer authorised by the Chairman to perform the function of the Secretary, in the absence of the Secretary on account of his being on leave or otherwise.

3. Power and functions of the Commission.—

- (1) The Commission may recommend for appointment in or to all the general, technical and non-technical services, cadres, and posts of the pay scale below 6500-10500 (or equivalent scale of pay as revised from time to time) as specified in Schedule-1 for different departments, attached offices of the Secretariat of the State government, Regional, District and Mufassil offices as per section 5 of the Act.
- (2) The recommendations of the Commission will be valid for one year with effect from the date of recommendation:

Provided that the Commission shall have the power to revalidate its recommendation for further one year.

4. **Transaction of Business of the Commission.**—The transaction of business of schedule 2 and schedule 3 of these Rules shall be made by the Commission and the Chairman of the Commission respectively.
5. **Status and facilities of the Chairman.**—The post of the Chairman of the Commission shall be of an officer of Indian Administrative Service in the pay scale not below super time scale. All the facilities admissible to the Secretary of a department shall be available to the Chairman of the Commission.
6. **Status and facilities of the member of the Commission.**—The post of the Members of the Commission shall be of the officers of All India Services / State Services in the pay scale of not below Rs. 14300-18300 (or equivalent pay scale revised from time to time). The members of the Commission shall be eligible for all the facilities admissible to officers of equivalent rank.
7. **Functions and Responsibility of the Members of the Commission.** —The Members of the Commission shall execute the business allocated to them by the Chairman.
8. **Proceeding of the Meetings of the Commission.**—(1) All decisions of the Commission shall be recorded in the meeting itself by the Secretary or any other officer authorised by the Chairman. If any member has a dissent view from any decision, it shall be recorded in the proceeding. In case of difference of opinion the decision shall be taken by majority.
- (2) The proceeding of the meeting shall be confirmed in the next meeting of the Commission.
- (3) The decisions of the Commission shall be communicated through a letter signed by the Secretary or by an officer authorised by the Chairman.
- (4) The proceedings of the Commission will be confidential and those will not be communicated without the permission of the Commission.
9. **Financial Powers.**—(1) Within the budget allocation the Commission shall have the full power of the Department to purchase, to execute contract and to sanction any other expenditures for office administration except purchase of a motor vehicle and computer exceeding Rs. One Lakh. Provided that the Commission shall have the power to execute contract and to sanction any other expenditure exceeding Rs. one lakh for conducting the examination. For the contingent expenses the Chairman shall have the power under rule 110 (2) of Bihar Financial Rules.
- (2) The Commission shall have power to sanction advance and draw of money from treasury for more than Rs. ten thousand (10,000) for conduct of examination as per the terms and conditions laid down in Rule 300 of Bihar Treasury Code. The Chairman of the Commission shall have this power upto Rs. 10,000. In cases related to purchase, advance money shall be drawn from treasury only when there is such condition in the approved tender.
- (3) Procedure laid down in Item 39 of Annexure 5 of the Bihar Financial Rules Part-II shall be applicable in the matters related to printing of question papers and evaluation of answer sheets.
- (4) The Commission shall keep the amount received from Government and the amount received by miscellaneous receipts in a bank by opening an account. There shall be a separate bank account for the fees received from the candidates and this amount shall be deposited in the treasury under receipt Head "0051 public service commission- 104 staff selection commission- examination fee" immediately in any case by the end of the month. The detail of the revenue received as fee shall be sent to the department of Personnel and Administrative Reforms every year.

10. **Leave to the Chairmen and Members of the Commission.**—The procedure for sanction of leave to the Chairman and the Member of the Commission shall be the same as applicable to the officers of the equivalent rank. In the absence of the Chairman on account of leave or otherwise seniormost member shall hold the charge of the administrative works of the Chairman.
11. **Officers and Staff of the Commission.**—(1) Strength of post of the subordinate officers and staff for conduct of the business of the Commission shall be the same which may be sanctioned by the Government from time to time. The officers and staff shall be made available against the sanctioned strength of post by the Department of Personnel and Administrative Reforms.
- (2) The conditions of service of the officers and staff of the Commission shall be the same which are applicable to the Government servants. The rules, resolutions, orders regarding disciplinary action as applicable to the government servants of equivalent rank shall be applicable to the officers and staff of the commission.
- (3) The Commission may engage on contract the services of persons for specified period for smooth conduct of the examinations in addition to the post sanctioned by the Government on the basis of advertisement and the Commission shall terminate their services as soon as the examination procedure is over. The Commission shall obtain the prior approval of the State Government on the number of such persons to be engaged and on the rate of the amount payable to them.
12. (1) Annual expenditure on establishment of the Commission shall be borne by the department of Personnel and Administrative Reforms by providing the required fund under its budget head.
- (2) The Commission shall prepare the budget estimates of every year and send it to the Department of Personnel and Administrative Reforms so that it may be included in the budget of the Department.
13. The Controlling officer of the Commission or the Chairman shall control over the expenditure and execute the responsibilities conferred under Rules 471-483 of Bihar Financial Rules. Maintenance of account and its audit will be done as per the procedure prescribed by the State Government. Relevant informations and reports in this regard shall be made available by the Commission to the Department of Personnel & Administrative Reforms from time to time.

Schedule-1

Details of the services, cadres and posts

(See Rule 3)

A. Secretariat post

- (1) Assistant
- (2) Stenographer
- (3) Lower Division Clerk
- (4) Vehicle Driver
- (5) Statistical Assistant

B. Regional/District Level post

- (1) Muffasil Clerk
- (2) Revenue Clerk
- (3) VLW
- (4) Panchayat Sewak
- (5) Amin
- (6) Gram Panchayat Supervisor
- (7) Cooperative Ext. Officer
- (8) Block Agriculture Ext. Officer
- (9) Labour Inspector
- (10) Jr. Statistical Supervisor
- (11) Junior Engineer
- (12) Sub Inspector of Police
- (13) Assistant Sub Inspector of Police
- (14) Primary Teacher
- (15) Wireless Operator
- (16) Circle Inspector- cum-Kanoongo
- (17) Supply Inspector
- (18) Weight & Measures Inspector

Note— All other posts of Secretariat and Mufassil level in the pay scale below 6500-10500 shall be deemed to be included in this schedule.

Schedule-2

Business to be transacted by the Commission

- (1) Annual report of the Commission.
- (2) Scheme of examinations and syllabus under Rules made under section 12 (2) of the Act.
- (3) All cases in which a new policy is required to be formulated for submission to Government.
- (4) All cases in which the existing policy is required to be amended/revised for submission to Govt.
- (5) All cases in which a decision is required to be taken regarding framing of rules for holding competitive examinations for recruitment to posts and services.
- (6) Such cases where on recruitment rules have been framed and Commission has to formulate the procedure of recruitment.
- (7) Submit to the Government Rules of Procedure of the Commission for transacting its business.
- (8) Submit proposals for exclusion from Commission's purview or extension of function of the

Commission for the approval of the Government.

- (9) Issues related to research of examination system.
- (10) Preparation of panel for constituting of Interview Boards.
- (11) Preparation of panel of Advisors/Experts and structure of the Board.
- (12) Fixing the dates of interview.
- (13) Fixing the dates of examination and centres of examinations and the venue of evaluation centres.
- (14) Preparation of panel of Advocates.
- (15) Advertisements and notification for recruitment and selection of newspapers in which advertisements are to be published.
- (16) Approval of results of examinations and interview.
- (17) System development and other works pertaining to technical aspect of Data Processing and Electronic Data Processing Branch.
- (18) Review of answer books on application of candidates.
- (19) Any other matter which the chairman places before the Commission for consideration and decision.
- (20) Any other matter not covered by these rules and to be sent to the Government for approval after drafting the proposal.

Schedule-3

Business to be transacted by the Chairman

- (1) General administration of the Commission.
- (2) Co-ordination of Commission's work including convening of the meeting of the Commission.
- (3) Allocation of business amongst the members.
- (4) Endorsement of any file for examination to any member nominated by the Chairman.
- (5) Appointment of paper-setters, moderators and examiners.
- (6) Approval of printing of question papers.
- (7) The Chairman may place any specific matter before Commission for disposal as per necessity or in public interest.
- (8) Scrutiny of statement of facts or filing of affidavit in court cases.
- (9) Formation of Board from the panel approved by the Commission and fixing the dates of interview.
- (10) Power to engage the Advocates from the panel approved by the Commission.
- (11) Matter entrusted by the Commission in work interest.

By order of the Governor of Bihar
NITEN CHANDRA,
Additional Secretary to Govt.



सत्यमेव जयते

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

4 वैशाख, 1924 (श०)

(सं० पटना 172)

पटना, बुधवार, 24 अप्रील 2002

विधि विभाग

अधिसूचनाएँ

24 अप्रील 2002

सं०-एल० जी०-1-02/2002/लेज-140-बिहार विधान-मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर राज्यपाल 17 अप्रील 2002 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है :-

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

राजेन्द्र प्रसाद

सरकार के सचिव।

(बिहार अधिनियम 7, 2002)

बिहार कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2002

बिहार सरकार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन तृतीय श्रेणी के प्रावैधिक तथा अप्रावैधिक पदों के लिये उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया में एकरूपता लाने हेतु बिहार कर्मचारी चयन आयोग के गठन के लिये अधिनियम ।

प्रस्तावना।-चूँकि, प्रतियोगिता परीक्षाओं और उम्मीदवारों दोनों की संख्या में पड़े पैमाने पर वृद्धि हो गई है और फलस्वरूप बिहार लोक सेवा आयोग के दायित्व में अत्यधिक वृद्धि हो गई है और तृतीय वर्ग की सेवाओं/पदों के लिये उम्मीदवारों के चयन के कार्यभार से बिहार लोक-सेवा आयोग को मुक्त करते हुए इस प्रयोजनार्थ एक अलग आयोग का गठन करना आवश्यक हो गया है;

और, चूँकि, फिटमेंट कमिटी द्वारा अपने रिपोर्ट (भौल्युम IV बुक 2) के अध्याय 7 की कंडिका 7.3.13 (डी) के अन्तर्गत कर्मचारी चयन आयोग जैसे आयोग के गठन की संभावना पर विचार करने की अनुशंसा की गई है;

और, चूँकि, इन परिस्थितियों में वर्ग 3 के पदों पर नियुक्तियों के लिये उपयुक्त उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया

में एकरूपता लाने के प्रयोजनार्थ बिहार कर्मचारी चयन आयोग गठित करने हेतु एक अधिनियम अधिनियमित करना समीचीन है।

अब, इसलिए, भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में बिहार राज्य के विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।—(1) यह अधिनियम बिहार कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2002 कहा जा सकेगा।
 - (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
 - (3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।
2. परिभाषाएँ।— इस अधिनियम में, जबतक कोई बात विषय या संदर्भ के विरुद्ध न हो—
 - (क) 'अधिनियम' से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2002;
 - (ख) 'राज्य सरकार' से अभिप्रेत है बिहार सरकार;
 - (ग) 'आयोग' से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा-3 के अन्तर्गत गठित बिहार कर्मचारी चयन आयोग;
 - (घ) 'अध्यक्ष' से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष;
 - (ङ) 'सदस्य' से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग के सदस्य;
 - (च) 'नियमावली' से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन बनायी गयी नियमावली।
3. आयोग का गठन।—बिहार कर्मचारी चयन आयोग का गठन निम्नलिखित को मिलाकर किया जायेगा :—
 - (क) अध्यक्ष—राज्य सरकार द्वारा नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के सुपर टाइम स्केल से अन्यून पंक्ति के न्यूनतम तीन वर्ष की अवशेष सेवा वाले एक पदाधिकारी।
 - (ख) सदस्य—राज्य सरकार द्वारा नियुक्त रुपये 14300—18300 (अथवा समय-समय पर यथा पुनरीक्षित समरूप वेतनमान) से अन्यून वेतनमान तथा न्यूनतम तीन वर्ष की अवशेष सेवा वाले अखिल भारतीय सेवाओं/राज्य सेवाओं के दो पदाधिकारी।
4. आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल।—आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा। प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं के कारण अध्यक्ष एवं सदस्यों को तीन वर्षों के कार्यकाल के पूरा होने के पूर्व भी पद से हटाया जा सकेगा।
5. सेवाएँ/संवर्ग/पद जिनके लिये नियुक्ति हेतु आयोग अनुशंसा कर सकेगा।—आयोग, नियमावली में यथा प्रावधानित रुपये 6500—10,500 (अथवा समय-समय पर यथा पुनरीक्षित समरूप वेतनमान) से नीचे के वेतनमान वाले राज्य सरकार एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के अधीन एवं सभी सामान्य/प्रावैधिक/अप्रावैधिक सेवाओं/संवर्गों/पदों पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा कर सकेगा।
6. अधीनस्थ पदाधिकारी एवं कर्मचारी।—आयोग के कार्य संचालन हेतु अधीनस्थ पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का पदबल एवं उनकी सेवा शर्तें राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाई गई नियमावली में किये गये प्रावधान